20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

(69)

समक्ष माननीय अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर,म0प्र0

निग - 3041- I-16

1– महेश कुमार पिता करोडी साहू उम्र 60 साल,
2– देवेन्द्र कुमार पिता महेश कुमार साहू,आयु 38 साल,
दोनो साकिन– वार्ड क्रं0 13 हर्रई तह0 हर्रई जिला छिंदवाडा म0प्र0

................पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

1– द्वारका प्रसाद पिता हेमचंद राय,उम्र 60 साल,
2– जगदीश प्रसाद पिता हेमचंद राय,उम्र 45 साल,
3– नरेन्द्र कुमार पिता बिटठूलाल राय,उम्र 42 साल,
तीनो निवासी– वार्ड क्रं0 7 हर्रई तह0 हर्रई जिला छिंदवाडा म0प्र0

...........उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण अतंर्गत धारा 50 म0प्र0भू–रा0सं0 1959

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हर्रई तह0 हर्रई जिला छिंदवाडा के राजस्व प्रकरण कमांक 1/अ–13/2014–15 में पक्षकार द्वारका प्रसार विरूद्ध देवेन्द्र व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28–7–2016 से व्यथित होकर एवं उक्त अंतरिम आदेश को निरस्त किये जाने हेतु प्रमुख आधारों के अलावा अन्य आधारों के यह पुनरीक्षण प्रस्तुत है:–

पुनरीक्षण के तथ्य

1– यह कि उत्तरवादीगण द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हर्रई जिला छिंदवाडा के समक्ष म0प्र0 भू0राजस्व की संहिता की धारा 131 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया की उत्तरवादीगणों को पुनरीणकर्ता की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ता दिलाये जावे, उक्त आवेदन के साथ में उत्तरवादीगण द्वारा म0प्र0 भू–रा0सं0 की धारा 32 के तहत भी अंतरिम आदेश पारित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है,कि उत्तरवादीगण एवं पुनरीक्षणकर्तागण मेंढ पडोसी कृषक है और

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3041–एक/2016 जिला–छिंदवाडा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
11–2–19	आवेदक के अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद कटारे उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलार हर्रई जिला छिंदवाडा के प्रकरण कमांक 1/अ–13/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला छिंदवाडा के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 कलेक्टर जिला छिंदवाडा	